सं0–7/सामुदायिक–09–01/2012– 0570

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 16–4–2012

विषयः– मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– N2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹45,42,60,830/–(पैतालीस करोड़ बेयालीस लाख साठ हजार आठ सौ तीस रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹45,42,60,830/–(पैतालीस करोड़ बेयालीस लाख साठ हजार आठ सौ तीस रूपये)मात्र आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– N2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ यथानुसार संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्रा0स्वा0केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 के नियमित वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. दवा भंडार, आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री एवं पूर्त्तियाँ एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

E:\2012 2013 file\Budget\Das g\Ref Allot.doc

16/4/2012

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

15. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

16. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

17. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

16/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 05 (730) पटना, दिनांक : 16-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

16/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	दूरभाष (28–01)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	पटना	13000000	8710000	1950000	156000	650000	24466000	4500	14600	7200	17400	12000	14300	360000	2300000	230000	2300000	182000	29908000
2	भोजपुर	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	4500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	2300000	138000	16482410
3	रोहतास	2800000	1876000	420000	33600	140000	5269600	3000	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	7887640
4	गोपालगंज	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	4500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	15882410
5	सुपौल	2800000	1876000	420000	33600	140000	5269600	1500	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	7886140
6	कटिहार	2800000	1876000	420000	33600	140000	5269600	1500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	9292410
7	पूर्णिया	5000000	3350000	750000	60000	250000	9410000	3000	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	225000	1700000	182000	13533310
8	मधुबनी	12000000	8040000	1800000	144000	600000	22584000	4500	14600	7200	15000	12000	14300	360000	2300000	225000	2300000	180000	28016600
9	दरभंगा	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	3000	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	14474640
10	सारण	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	3000	14600	7200	17400	12000	14300	360000	2300000	227500	2300000	180000	17292600
11	सीतामढ़ी	2700000	1809000	405000	32400	135000	5081400	3000	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	7699440
12	समस्तीपुर	5000000	3350000	750000	60000	250000	9410000	1500	3600	1800	4320	3000	3800	90000	570000	56900	570000	46000	10760920
13	जहानाबाद	4500000	3015000	675000	54000	225000	8469000	3000	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	11087040
14	कैमूर	1900000	1273000	285000	22800	95000	3575800	3000	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	7600110
15	जमुई	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	3000	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	15880910
16	शिवहर	1800000	1206000	270000	21600	90000	3387600	1500	3600	1800	4320	3000	3800	90000	570000	56900	570000	46000	4738520
17	किशनगंज	4000000	2680000	600000	48000	200000	7528000	3000	7300	3600	8640	6000	7500	90000	1100000	110000	1100000	92000	10056040
18	बेतिया, प.च.	4500000	3015000	675000	54000	225000	8469000	3000	7300	3600	8640	6000	7500	265000	1700000	110000	1700000	92000	12372040
19	गया	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	1500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	15879410
20	सीवान	5000000	3350000	750000	60000	250000	9410000	4500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	13435810

05(7)9
16-4-12

16/4/2012

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	दूरभाष (28–01)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी / पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार / पथ्य (21–03)	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	बेगुसराय	5000000	3350000	750000	60000	250000	9410000	1500	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	12026540
22	शेखपुरा	4000000	2680000	600000	48000	200000	7528000	1500	3600	1800	4320	3000	3800	90000	570000	56900	570000	46000	8878920
23	मधेपुरा	1800000	1206000	270000	21600	90000	3387600	1500	3600	1800	4320	3000	3800	90000	570000	56900	570000	46000	4738520
24	मुजफ्फरपुर	4000000	2680000	600000	48000	200000	7528000	1500	3600	1800	4320	3000	3800	90000	570000	56900	570000	46000	8878920
25	मोतिहारी	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	1500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	15879410
26	वैशाली	11000000	7370000	1650000	132000	550000	20702000	4500	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	23321540
27	लखीसराय	3300000	2211000	495000	39600	165000	6210600	1500	3600	1800	4320	3000	3800	90000	580000	56900	580000	46000	7581520
28	नवादा	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	3000	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	14474640
29	नालन्दा	11000000	7370000	1650000	132000	550000	20702000	3000	14600	7200	17400	10000	14300	360000	2300000	225000	1700000	180000	25533500
30	औरंगाबाद	5600000	3752000	840000	67200	280000	10539200	4500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	14565010
31	भागलपुर	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	4500	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	2900000	138000	17082410
32	बाँका	6300000	4221000	945000	75600	315000	11856600	4500	10950	5400	12000	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	92000	15835450
33	खगड़िया	2800000	1876000	420000	33600	140000	5269600	1500	7300	3600	8640	6000	7500	180000	1100000	110000	1100000	92000	7886140
34	अररिया	1800000	1206000	270000	21600	90000	3387600	3000	10950	5400	12960	9000	10000	265000	1700000	170000	1700000	138000	7411910
	कुल	**181100000**	**121337000**	**27165000**	**2173200**	**9055000**	**340830200**	**97500**	**302650**	**149400**	**355680**	**247000**	**292500**	**7400000**	**47430000**	**4723900**	**48630000**	**3802000**	**454260830**

(पैतालीस करोड़ बेयालीस लाख साठ हजार आठ सौ तीस) रू0 मात्र

16/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

05(7)0
16-4-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवषेष राषि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	226652000	181100000	45552000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	151856000	121337000	30519000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	33998000	27165000	6833000
4	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2818000	2173200	644800
5	अन्य भत्ता (01–07)	11333000	9055000	2278000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**426657000**	**340830200**	**85826800**
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	1000000
7	यात्रा व्यय (11–01)	200000	97500	102500
8	कार्यालय व्यय (13–01)	650000	302650	347350
9	दूरभाष (13–03)	384000	149400	234600
10	विद्युत प्रभार (13–04)	720000	355680	364320
11	विधि प्रभार (13–05)	500000	247000	253000
12	वर्दी / पोषाक (13–06)	593000	292500	300500
13	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	15000000	7400000	7600000
14	दवा भंडार (21–02)	96000000	47430000	48570000
15	आहार / पथ्य (21–03)	10000000	4723900	5276100
16	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाऍ (28–01)	96000000	48630000	47370000
17	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	7700000	3802000	3898000
	कुल योगः–	**655404000**	**454260830**	**201143170**

16/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

15(7)a
-4-12